कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 57 /अधि–1–14 देहरादून दिनांक, 25 अप्रैल , 2023.

नियुक्ति आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की पत्रांक 4 दिनांक 13.04.2023 से **वन आरक्षी** के पद पर **सीधी भर्ती** के पदों हेतु संस्तुत/चयनित इस वनादेश के संलग्नक 1 में दिए गए अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 यथासंशोधित की नियम 17 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **वन आरक्षी** के पद पर **लेवल–3, वेतनमान 21700–69100** में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

नियुक्ति की सामान्य शर्तें इस वनादेश के संलग्नक–2 के अनुसार होगीं तथा सेवाएँ समय समय पर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियमों, नियमावलियों व शासनादेशों से आच्छादित होंगी।

उक्त अभ्यर्थियों द्वारा संलग्न 1 की तालिका के कॉलम 5 में दिए गए तैनाती वन प्रभागों/कार्यालयों में अपना योगदान दिनांक 15.05.2023 को सायं 5:00 बजे से पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे। यदि गर्भावस्था, गंभीर बीमारी, दुर्घटना में घायल, आदि किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश निर्धारित दिनांक तक योगदान देने में असमर्थ हो तो दिनांक 15.05.2023 को सायं 5:00 बजे से पूर्व योगदान देने में असमर्थता का कारण व साक्ष्य सहित आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त होने पर योगदान हेतु अवधि विस्तार पर विचार किया जा सकता है जिस पर नियुक्ति अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न देने, योगदान हेतु अवधि विस्तार का आवेदन प्राप्त न होने अथवा विस्तारित अवधि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति को परित्याग किया गया है तथा उक्त रिक्ति के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति हेतु विभाग स्वतंत्र होंगे।

नियुक्त कार्मिक योगदान की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

25/4/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

आई. टी. सी. सी.
इस वनादेश संलग्न सहित
विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करें।

D.C.F.
26.4.2023

वनादेश संख्या 57 / अधि–1–14 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल 2023 का संलग्नक–1

वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती से चयनित व नियुक्त अभ्यर्थियों की सप्तम सूची

क्र.सं.	अनुक्रमांक	मैरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	प्रभाग तैनाती का वन प्रभाग/कार्यालय
1	2510672212	2346	SHUBHAM KUMAR VISHWAKARMA S/O Mr. RAMESH RAM VISHWAKARMA	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
2	1204672289	2889	ANSHU d/o Mr.MAHESH SINGH	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर

End of List

25/4/23

(निशान्त वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक

<u>वनादेश संख्या 57 / अधि–1–14 देहरादून दिनांक, 25 अप्रैल 2023 का संलग्नक–2</u>

<u>अधीनस्थ वन सेवा के अंतर्गत वन आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति एवं तैनाती की सामान्य शर्तें</u>

1. यह नियुक्ति नितांत अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह के नोटिस या उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। वन आरक्षी द्वारा स्वंय भी सेवा छोड़ने का इच्छुक होने पर वन विभाग को एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करके सेवा से मुक्त हो सकता है।

2. इस नियुक्ति पर उपस्थिति देने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थयता प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

3. नियुक्ति हेतु निर्धारित कार्यालय में योगदान देने पर शपथ ग्रहण, सेवा पुस्तिका को भरना, नामांकन, नई पेंशन योजना का खाता खोलना, वेतन हेतु बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराना, आदि समस्त औपचारिकताओं को एक माह के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation programme) में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी।

4. उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली की नियम 19, 20 व 23 के प्राविधानों के अनुसार **नियुक्त वन आरक्षी, योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए, परिवीक्षाधीन रहेगा।** परिवीक्षा अवधि में कार्य व आचरण संतोषजनक व सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने व स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य पाए जाने पर परीवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उन्हें स्थायी किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में परिवीक्षा अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

5. नियुक्त कार्मिक परिवीक्षा अवधि में अपने निर्धारित छः माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाना होगा जिसके लिए ऐसे दिनांक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी।

6. वन आरक्षी के पद पर नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता अधीनस्थ वन सेवा नियमावली की नियम 21 के परंतुक के अनुसार उनकी उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रतियोगिता में अर्जित अंक के 100 प्रतिशत अधिभार व पद हेतु निर्धारित मूलभूत प्रशिक्षण में अर्जित अंकों के 50 प्रतिशत अधिभार के आधार पर पृथक से निर्धारित की जायेगी। अतः उपरोक्त तालिका को वरिष्ठता का क्रम न माना जाये।

7. नियुक्त वन आरक्षी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 का पूर्ण पालन किया जाना होगा जिसके उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

8. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(1) के अनुसार प्रथम नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती की जायेगी तथा धारा 19(1) के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति हेतु यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया हो।

9. उत्तराखण्ड राज्य में लागू विभिन्न अधिनियम, नियमावलियाँ एवं शासनादेश राज्य के सरकारी वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

10. इस नियुक्ति की शेष शर्तें व नियम वही होंगे जो समय–समय पर इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, जिसका नियुक्त कार्मिक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

11. कार्मिक को प्रथम नियुक्ति / तैनाती स्थल पर उपस्थिति देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. यद्यपि आयोग द्वारा शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण, आदि अभिलेखों का प्रथम दृष्ट्या सत्यापन के आधार पर नियुक्तियाँ दिया गया है, तथापि समस्त अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन संबंधित कार्यालयध्यक्षों द्वारा अपने स्तर से किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये गये किसी अभिलेख के इस नियुक्ति के पश्चात भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने अथवा नियुक्ति के शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है अथवा सेवाएँ समाप्त की जा सकती है जिसके लिए नियुक्त कार्मिक स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

13. तैनाती स्थान को बदलने हेतु सामान्यतः किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का राजनैतिक अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से दबाव अथवा प्रभाव डालने पर इसे कदाचार मानते हुए नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

25/4/23

(निशान्त वर्मा)
मुख्य. वन संरक्षक

पत्र संख्या 1254 /1–7(8) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड वन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित नियुक्त कार्मिक के अनुक्रमांक, मेरिट कमांक व फोटो पहचान पत्र के माध्यम से पहचान सुनिश्चित करते हुए उनका योगदान स्वीकार करना सुनिश्चित करें। नियुक्त कार्मिकों की योगदान सूचना/योगदान नहीं देने की सूचना/योगदान हेतु अवधि विस्तार के आवेदन, आदि इस कार्यालय को दिनांक 17.05.2023 तक सूचित करने का कष्ट करें तथा नियुक्त कार्मिकों के सेवा अभिलेखों को पूर्ण किया जाना, वेतन भत्तों व पेंशन खाता खोलना, आदि योगदान औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा उनके लिए दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation programme) आयोजित कराने तथा अपनी बारी आने पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भेजना सुनिश्चित किया जाए। जहाँ नवनियुक्त वन आरक्षियों की संख्या अत्यधिक कम है वहाँ समीपवर्ती वन प्रभाग के माध्यम से अभिविन्यास कार्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है।
3. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी एवं आधुनिकीकरण को इस आशय से प्रेषित कि इस वनादेश को संलग्नकों सहित विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नव नियुक्त वन आरक्षियों को **आगामी प्रशिक्षण सत्रों में** क्षमता के अनुसार यथाशीघ्र प्रशिक्षण हेतु नामित करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त चयनित अभ्यर्थीगण को वेबसाईट के माध्यम से।
6. सुरक्षित पत्रावली।

25/4/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र संख्या 1254 / अधि–1–14, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, देहरादून।

25/4/23
(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक